न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।
जी0आर0नं0:—932 / 2021
दाउदनगर थाना कांड संख्या :—538 / 2021

12.08.2022 आवेदक ट्रैक्टर निबंधन सं0—BR51G4124 एवं उससे संबंधित टेलर के स्वामी मंजु देवी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक—04.07.2022 को दाखिल आवेदन को संचालित करने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया । सुना । दिनांक—16.08.2022 वास्ते आदेश हेतु ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

16.08.2022 अभिलेख आदेश हेतु नियत है । अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक—04.07.2022 को दाखिल आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि उक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0—BR51G4124 एवं उससे संबंधित टेलर दाउदनगर थाना द्वारा दिया जप्त किया गया है। उक्त वाहन का स्वामी आवेदक है । वाहन जप्त रहने से वाहन मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अतः आवेदक के पक्ष में उक्त ट्रैक्टर एवं उससे संबंधित टेलर को मुक्त किया जाय ।

उक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0—BR51G4124 एवं उससे संबंधित टेलर को दाउदनगर थाना द्वारा जप्त किया गया है तथा इस पर बालू चोरी का आरोप है । उक्त वाहन का जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है । उक्त वाहन का स्कीन प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी नवादा के द्वारा पत्रांक—1089 दिनांक—08.07.2022 के तहत समर्पित किया गया है । उक्त वाहन से सम्बन्धित प्रतिवेदन में सम्बन्धित थाना द्वारा यह दर्शित किया गया है कि "इस कांड के अनुसंधानकर्ता पु0स0अ0नि0 पंकज कुमार झा है, जिनका स्थानांतरण दाउदनगर थाना से दो माह पूर्व अम्बा थाना में हो गया है तथा इनके द्वारा कांड का अनुसंधान भार दाउदनगर थाना को नही सौंपा गया है"। जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद के पत्रांक—1017 / ख0 दिनांक—23.06.2022 के प्रतिवेदन से विदित होता है कि आवेदक के द्वारा जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद में अर्थदण्ड की राशि मो0—30,375 / —रूपया जमा किया है । स्कीन प्रतिवेदन से यह दर्शित होता है कि उक्त वाहन का स्वामी का नाम मंजु देवी, निबंधन सं0—BR51G4124, इंजन सं0—E3443864, चेसिस सं0—T053395367DJ अंकित है । उक्त वाहन के स्वामी मंजु देवी की ओर से उक्त वाहन की आर.सी. की मूल प्रति दाखिल किया गया है, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का निवंधन संख्या, चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या, स्कीन प्रतिवेदन एवं थाना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार है । आवेदक के द्वारा बीमा एवं परमिट की प्रति दाखिल नही किया है । मिलान करने के उपरांत मूल दस्तावेज आवेदक को वापस कर दिया गया ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदक मंजु देवी के पक्ष में उक्त जप्त ट्रैक्टर एवं उससे सम्बन्धित / संलग्न टेलर, ट्रैक्टर निबंधन सं0—BR51G4124, इंजन सं0—E3443864, चेसिस सं0—T053395367DJ को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक मंजु देवी के पक्ष में उक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0—BR51G4124 एवं उससे सम्बन्धित / संलग्न टेलर को मो0—6,00,000X2 के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त ट्रैक्टर का आर.सी की छायाप्रति की सत्यापित प्रति जो गजटेड पदाधिकारी / नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करेगा । आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि उक्त ट्रैक्टर एवं उससे सम्बन्धित / संलग्न टेलर के मुक्ति के एक माह के अंदर उसका बीमा, तंदुरूस्ती एवं परमिट की अद्यतन प्रति की छायाप्रति दाखिल करेगा । वाहन मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक उसके रंगरूप—स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिक्रय नही करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा तथा उक्त वाहन का जो कागजात दाखिल किया गया है वह सत्य है।

थाना प्रभारी दाउदनगर को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदक के पक्ष में उक्त वाहन को पंचनामा बनाते हुए मुक्त करें ।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने एवं स्वीकृति उपरांत उक्त आदेश के आलोक में मुक्ति आदेश निर्गत करें।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।